भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 56

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

राज्यों को ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण

56. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के साथ-साथ वित्त वर्ष 2026 के बजट में राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में 1.5 ट्रिलियन रुपये निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक कितने राज्यों ने यह ऋण लिया है और उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य ने कितना ऋण लिया है और कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ की हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): जी हां, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट में राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। राज्यों को ये निधियां पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2025-26 में, विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भी एसएएससीआई के अंतर्गत निधियाँ प्रदान की गई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक जारी किए गए ऋण का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण और परियोजनाओं की संख्या, जिनके लिए ऋण लिया गया है, अनुबंध में संलग्न है।

****

अनुबंध

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा लिखित प्रश्न सं. 56 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी ऋण का विवरण			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी राशि (करोड़ रु. में) (27.11.2025 तक)**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	3492.40	96
2	अरुणाचल प्रदेश	651.78	144
3	असम	5041.94	229
4	बिहार	3952.39	144
5	छत्तीसगढ़	1837.91	187
6	गोवा	991.56	189
7	गुजरात	2209.62	80
8	हरियाणा	542.83	3
9	हिमाचल प्रदेश	855.49	128
10	झारखंड	780.80	148
11	कर्नाटक	1811.63	36
12	केरल	914.04	24
13	मध्य प्रदेश	3809.91	53
14	महाराष्ट्र	3077.18	331
15	मणिपुर	224.26	101
16	मेघालय	655.83	85
17	मिजोरम	241.48	41
18	नागालैंड	0.00	00
19	ओडिशा	1967.46	288
20	पंजाब	681.36	145
21	राजस्थान	4113.12	183
22	सिक्किम	288.97	15
23	तमिलनाडु	2765.29	170
24	तेलंगाना	1160.26	100
25	त्रिपुरा	348.87	101
26	उत्तर प्रदेश	8465.03	482
27	उत्तराखंड	597.94	46
28	पश्चिम बंगाल	3540.52	236
29	दिल्ली	542.03	35
30	जम्मू एवं कश्मीर	1083.41	234
31	पुडुचेरी	180.90	52
कुल		**56826.21**	**4106**